राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:–0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:–jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन /पार्ट–I/अलेसे–III/2059 दिनांक :– 11.01.2025

आदेश संख्या 211 /2024–25

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा–2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंषा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन–भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे **कोषालय, बूंदी** में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। कोषाधिकारी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों की कार्यग्रहण रिपोर्ट मय दस्तावेज 7 दिवस में इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.in पर एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें:–

क.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/रोल नं.	जन्मतिथि	कोष कार्यालय का नाम	अभ्यर्थी का फोटो
1.	JITESH JINDAL S/O MUKESH KUMAR JIONDAL 785185	09-09-2000	Bundi	
2.	KESHAV SHARMA S/O BHAGWAN PRASAD SHARMA 788334	29-06-1998	Bundi	
3.	PRAJJAVAL CHITTORA S/O JAGDISH PRASAD 788368	28-07-1999	Bundi	
4.	MOHIT JAIN S/O RAKESH JAIN 787592	18-04-1997	Bundi	
5.	AMIT KUMAR SHARMA S/O GIRIRAJ SHARMA 783437	17-01-1995	Bundi	
6.	BRAJRAJ KUSHWAH S/O BADRI LAL KUSHWAH 785010	28-02-1992	Bundi	

7.	NAVEEN KUMAR CARPENTER S/O KANHAIYA LAL CARPENTER 786984	06-07-1999	Bundi	
8.	GOVIND SAIN S/O CHHITAR LAL SAIN 787231	05-05-1998	Bundi	
9.	NAVIN KUMAR JAIN S/O VIMAL JAIN 785269	01-01-1997	Bundi	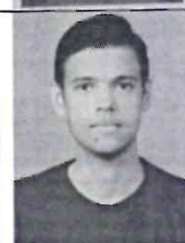
10.	KUSHAL BHARDWAJ S/O NARENDER BHARDWAJ 789020	10-10-1999	Bundi	
11.	SANJAY CHAUDHARY S/O RAMPAL CHAUDHARY 783676	06-10-1994	Bundi	
12.	RAKESH KUMAR NAGAR S/O RAMESH CHAND 786804	28-04-1997	Bundi	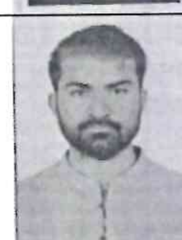
13.	MONIKA BAIRAGI D/O PREM CHAND BAIRAGI 784879	10-12-1998	Bundi	
14.	SANWARA LAL NAGAR S/O MOHAN LAL 783837	05-07-1992	Bundi	
15.	GIRIRAJ MALAV S/O DEVILAL MALAV 785295	27-11-1997	Bundi	
16.	PARAS KUMAR YOGI S/O GHASI LAL YOGI 783540	01-07-2000	Bundi	

17.	HEMANT NAMA S/O SATYANARAYAN NAMA 784981	07-08-1994	Bundi	
18.	DURGA SHANKAR CARPENTER S/O BABU LAL 788199	29-08-1996	Bundi	
19.	VIKASH MEENA S/O BIRDHI LAL MEENA 786371	28-10-1996	Bundi	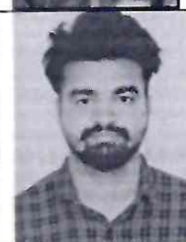
20.	MAHENDRA NAGAR S/O GHASI LAL NAGAR 783459	06-07-1994	Bundi	
21.	ANSHUL KUMAR RATHORE S/O PRADEEP RATHORE 786249	07-03-1999	Bundi	
22.	HEMANT PRAJAPAT S/O OMPRAKASH PRAJAPAT 786619	20-06-1996	Bundi	
23.	INDRA KUMAR GURJAR S/O MUNNA LAL VERMA 783593	13-04-1991	Bundi	
24.	JITENDRA SINGH HADA S/O BRIJ RAJ SINGH HADA 785002	01-06-1996	Bundi	
25.	NIRANNJAN GOCHER S/O BHANWAR LAL GOCHER 787032	26-01-1994	Bundi	
26.	SURENDRA MEGHWAL S/O BHANWAR LAL MEGHWAL 783152	29-04-2002	Bundi	

27.	PRIYANKA KUMARI D/O KANHAIYA LAL GOCHER 787211	31-03-1995	Bundi	
28.	POOJA KHATRI D/O HARIMOHAN KHATRI 784692	24-07-2000	Bundi	
29.	JYOTI SUWALKA D/O CHHITAR LAL SUWALKA 785080	30-12-1995	Bundi	
30.	RAHUL MEENA S/O MAHADEV MEENA 788638	11-07-1997	Bundi	
31.	MURARI LAL BAIRWA S/O KESARI LAL BAIRWA 787645	25-12-1994	Bundi	
32.	AKANKSHA JAIN D/O PARAS JAIN 784381	15-11-2002	Bundi	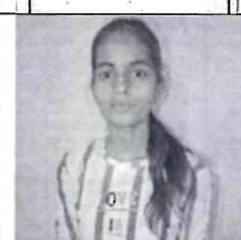
33.	MANISH KUMAR MEENA S/O RAMDEV MEENA 785215	14-11-1994	Bundi	
34.	NEERAJ VERMA S/O SHYAM LAL VERMA 787028	28-06-1995	Bundi	
35.	SINTU MEENA S/O BADRI LAL 785520	06-11-2002	Bundi	
36.	PRADEEP CHANDEL S/O RAMESH CHANDEL 788587	06-08-1999	Bundi	

37.	HANUMAN MEENA S/O BADRI LAL MEENA 787763	27-07-1998	Bundi	
38.	NIKHIL MEENA S/O GIRRAJ MEENA 784420	02-04-1999	Bundi	
39.	PREM SHANKER MEENA S/O MOTI LAL 788697	25-05-1999	Bundi	
40.	ABHISHEK MEENA S/O LALARAM MEENA 788431	18-08-1995	Bundi	
41.	KHEMRAJ MEENA S/O PRABHULAL 788882	14-12-1996	Bundi	
42.	NEHA MEENA D/O MAHAVEER MEENA 784272	16-08-1998	Bundi	
43.	MINAKSHI KUMARI VERMA D/O DHARMRAJ VARMA 787698	16-02-1995	Bundi	
44.	MAMTA KUMARI D/O PHOOL CHAND 785869	17-07-2000	Bundi	
45.	DHANKANWAR MEENA D/O GIRRAJ MEENA 786085	20-07-1994	Bundi	
46.	DIVYA VERMA D/O KAILASH VERMA 787341	21-02-1996	Bundi	

47.	PRIYA CHOPDAR D/O NATHU LAL CHOPDAR 784140	14-07-1999	Bundi	

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जाती है :–

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा। राज्य सेवा मे कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/आदेश लागू होंगे। **यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।**
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सन्तोषजनक रुप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मेट्रिक्स लेवल–10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नही होगें।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम–10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी:–
   1. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र 2. दहेज संबंधी शपथ पत्र 3. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र 4. चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र–ए(उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई–स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
   5. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुतीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I में आने वाले मामलो को छोडकर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।
12. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 202/2025 विनोद पाटीदार व अन्य, 278/2025 मोहित सोनी व अन्य एवं 347/2025 धर्मेन्द्र सिंह शेषमा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में आदेश जारी किए जाने के 15 कार्य दिवस में कार्यग्रहण नही करतें है और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते है तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

संलग्नः– शपथ–पत्रों के प्रारूप

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव
दिनांक :– 11.01.2025

क्रमांक :– एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पार्ट–I/अलेसे–III/2059

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ सयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी..को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों सहित जरिये विशेष वाहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावेः–
   1. जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
   2. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
   3. दहेज संबंधी शपथ पत्र
   4. धूम्रपान/मद्यपान संबंधी शपथ पत्र
   5. चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र–ए में शपथ पत्र
   6. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में

   (उक्त क्रम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई–स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय ।
9. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री..को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली ।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)